जिला परिषद, गोपालगंज।

बन्दोवस्ती सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला परिषद गोपालगंज अन्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के मौजा कुचायकोट में जिला परिषदीय फाटक की जमीन, भोरे निरीक्षण भवन के आहाता एवं झॉझवा आयुर्वेदिक औषधालय के जमीन में नवनिर्मित दुकानों तथा जिला परिषदीय मिरगंज निरीक्षण भवन के हाता में नव निर्मित विवाह भवन का डॉक (निलामी) दिनांक 27.01.2016 को 11 बजे पूर्वाहन में खुला डॉक के द्वारा किया जाना है। डॉक (निलामी) जिला परिषद कार्यालय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के समक्ष किया जायेगा। उच्चतम डॉकवक्ता को दुकान/विवाह भवन का आवंटन किया जायेगा। निलामी में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 26.01.2016 तक इस कार्यालय के ज्ञापांक 19,25,26,27 दिनांक 11-1-16 एवं 12-1-16 दिए गए नियम एवं शर्त के आलोक में आवेदन कर सकते है। विशेष जानकारी हेतु जिला के बेवसाईट **Gopalganj.bih.nic.in** एवं कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय स्थित सूचनापटट् एवं कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद गोपालगंज।

ज्ञापांक 25 / दिनांक 12-1-16 /

प्रतिलिपि :– विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक जागरण/प्रभात खबर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद गोपालगंज।

ज्ञापांक 25 / दिनांक 12-1-16 /

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है, कि जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई किया जाय।

ह०/-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद गोपालगंज।

जिला परिषद, गोपालगंज।

विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, गोपालगंज अन्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के मौजा कुचायकोट में जिला परिषदीय फाटक की भूमि में नवनिर्मित दुकानो की डॉक (निलामी) किया जाना है। जिसके लिए सुरक्षित जमा राशि एवं निधारित किराया तथा नियम एवं शर्त निम्न प्रकार है :–

स्थल का नाम	दूकान संख्या	साईज	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिमाह किराया दर	सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत
मौजा कुचायकोट	1,	12'-0" x 15'-10"	350000.00	1100.00	35000.00
मौजा कुचायकोट	2,3	15'-0" x 11'-3"	350000.00	1000.00	35000.00

(1) उपरोक्त अंकित स्थलों पर दुकान आवंटन प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति 100.00 शुल्क नगद जमा करके आवेदन–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन–पत्र जिला परिषद कार्यालय, गोपालगंज से कार्यालय अवधि में दिनांक 11.01.2016 से दिनांक 22.01.2016 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) आवेदन–पत्र जमा करते समय इसके साथ सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज के पदनाम से सुरक्षित राशि के रुप में संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट गोपालगंज में भुगतेय होगा। बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन–पत्र दिनांक 23.01.2016 से दिनांक 25.01.2016 तक जिला परिषद के कार्यालय में जमा करना होगा।

(3) दुकान का आवंटन खुला डॉक के द्वारा दिनांक 27.01.2016 को जिला परिषद कार्यालय गोपालगंज के सभाभवन में 11 बजे पूर्वाहन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के समक्ष किया जाएगा।

(4) आवेदनकर्ता किसी भी दुकान के डॉक (निलामी) सम्मलित हो कर उक्त दुकान का डॉक (निलामी) बोल सकते है।

(5) डॉक (निलामी) के द्वारा दुकान का आवंटन होने पर डॉक की 50 प्रतिशत राशि एक मुस्त उसी समय उच्चतम डाकवक्ता को नगद के रुप में जमा करना होगा। तथा शेष राशि 2 किश्तों में एक माह के अन्दर जिला परिषद में जमा करना होगा।

(6) डॉक की पूर्ण राशि जमा होने के 30 दिनों के अन्दर एकरारनामा के बाद दुकान आवंटी को हस्तगत करा दिया जायेगा। दुकान का आवंटन अगले 3 वर्षो के लिए होगा। पुनः अवधि समाप्त होने पर नया एकरारनामा किया जायेगा।

(7) जिस आवेदक को डॉक (निलामी) में दुकान का आवंटन नहीं होगा उसकी सुरक्षित जमा राशि 15 दिनों में वापस कर दी जायेगी। जिसके लिए आवेदन जिला परिषद गोपालगंज में देना अनिवार्य होगा।

(8) किसी भी बन्दोबस्ती को बिना कारण बताये, एवं पूर्व सूचना दिये रदद करने का अधिकार मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज को सुरक्षित होगा।

ह0/–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ह0/–
अध्यक्ष,
जिला परिषद, गोपालगंज।

D:\Letter\12-11-2012 to 17.12.2012.doc

4/a

ज्ञापांक ..19..... / दिनांक ..11.1.16.............. /

प्रतिलिपि :– सभी कनीय अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / जिला अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे विज्ञापन की सूचना का बोर्ड स्थल पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिला अभियन्ता, संबंधित कनीय अभियन्ता के माध्यम से इसका पूर्ण प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड प्रमुख / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज / सभी थानाध्यक्ष, जिला गोपालगंज / अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज / हथुआ / नजारत उप समाहर्त्ता, गोपालगंज को उक्त विज्ञापन नोटिश बोर्ड पर प्रचार हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपाध्यक्ष / सभी माननीय सदस्य, जिला परिषद गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

8.1.16

D:\Letter\12-11-2012 to 17.12.2012.doc

जिला परिषद, गोपालगंज।

विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, गोपालगंज अन्तर्गत भोरे में अवस्थित निरीक्षण भवन के अहाते में विभिन्न साईज के नवनिर्मित दुकानों की डाँक (निलामी) किया जाना है। जिसके लिए सुरक्षित जमा राशि एवं निधारिंत किराया तथा नियम एवं शर्त निम्न प्रकार है :–

स्थल का नाम	दुकान सं0	दुकान का साईज	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिमाह किराया	सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत
भोरे निरीक्षण भवन के अहाते में अग्रभाग	खण्ड A- 1, 2, 3, 19, 20,21,22,28, ~~29,30,~~ 29,30,	12'-0" x 10'-0" 1' 15'-0"x10'-0"	277000.00 277000:00	720.00 900:00	28000.00
	खण्ड B- 31,32,33,50, 51, 52, 53,59 ,~~29,30~~,60, 61	12'-0" x 10'-0" 15'-0" x 10'-0"	277000.00	720.00 900.00	28000.00
मध्यभाग	खण्ड A- 4, 5,16, 17, 18,23,24,26,27 25,	12'-0" x 10'-0" 15'-0" x 10'-0"	257000.00	720.00 900.00	26000.00
	खण्ड B- 34, 35,36, 47,48,49,55,57,58 54, 56,	12'-0" x 10'-0" 12'-0" x 12'-0" 15'-0" x 10'-0"	257000.00	720.00 800.00 900.00	26000.00
पिछे का भाग	खण्ड A- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15	12'-0" x 10'-0" 13'-0" x 12'-0"	237000.00	720.00 900.00	24000.00
	खण्ड B- 37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	13'-0" x 12'-0" 12'-0" x 10'-0"	237000.00	900.00 720.00	24000.00

(1) उपरोक्त अंकित स्थलों पर दुकान आवंटन प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति 100.00 शुल्क नगद जमा करके आवेदन–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन–पत्र जिला परिषद कार्यालय, गोपालगंज से कार्यालय अवधि में दिनांक 11.01.2016 से दिनांक 22.01.2016 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) आवेदन–पत्र जमा करते समय इसके साथ सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज के पदनाम से सुरक्षित राशि के रुप में संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट गोपालगंज में भुगतेय होगा। बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन–पत्र दिनांक 23.01.2016 से दिनांक 25.01.2016 तक जिला परिषद के कार्यालय में जमा करना होगा।

(3) दुकान का आवंटन खुला डाँक के द्वारा दिनांक 27.01.2016 को जिला परिषद कार्यालय गोपालगंज के सभाभवन में 11 बजे पूर्वाहन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के समक्ष किया जाएगा।

Sd/-

(4) आवेदनकर्ता किसी भी दुकान के डॉक (निलामी) सम्मलित हो कर उक्त दुकान का डॉक (निलामी) बोल सकते है।

(5) डॉक (निलामी) के द्वारा दुकान का आवंटन होने पर डॉक की 50 प्रतिशत राशि एक मुस्त उसी समय उच्चतम डाकवक्ता को नगद के रुप में जमा करना होगा। तथा शेष राशि 2 किश्तों में एक माह के अन्दर जिला परिषद में जमा करना होगा।

(6) डॉक की पूर्ण राशि जमा होने के 30 दिनों के अन्दर एकरारनामा के बाद दुकान आवंटी को हस्तगत करा दिया जायेगा। दुकान का आवंटन अगले 3 वर्षों के लिए होगा। पुनः अवधि समाप्त होने पर नया एकरारनामा किया जायेगा।

(7) जिस आवेदक को डॉक (निलामी) में दुकान का आवंटन नहीं होगा उसकी सुरक्षित जमा राशि 15 दिनों में वापस कर दी जायेगी। जिसके लिए आवेदन जिला परिषद गोपालगंज में देना अनिवार्य होगा।

(8) किसी भी बन्दोबस्ती को बिना कारण बताये, एवं पूर्व सूचना दिये रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज को सुरक्षित होगा।

ह0/—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।
07/01/16

ह0/—
अध्यक्ष,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ज्ञापांक 27 / दिनांक 12-1-16 /

प्रतिलिपि :— सभी कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/जिला अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे विज्ञापन की सूचना का बोर्ड स्थल पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिला अभियन्ता, संबंधित कनीय अभियन्ता के माध्यम से इसका पूर्ण प्रचार—प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखण्ड प्रमुख/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज /सभी थानाध्यक्ष, जिला गोपालगंज/अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ/नजारत उप समाहर्ता, गोपालगंज को उक्त विज्ञापन नोटिश बोर्ड पर प्रचार हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उपाध्यक्ष/सभी माननीय सदस्य, जिला परिषद गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।
8.1.16

D:\Letter\12-11-2012 to 17.12.2012.doc

जिला परिषद, गोपालगंज।

विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, गोपालगंज अन्तर्गत झाँझवा आयुर्वेदिक औषधालय में अवस्थित भूमि में विभिन्न साईज के नवनिर्मित दुकानों की डाँक (निलामी) किया जाना है। जिसके लिए सुरक्षित जमा राशि एवं निर्धारित किराया तथा नियम एवं शर्त निम्न प्रकार है :–

स्थल का नाम	दुकान सं0	दुकान का साईज	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिमाह किराया	सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत
झाँझवा आयुर्वेदिक औषधालय एन0एच0 के तरफ	1, 2,	12'-0" x 9'-0"	250000.00	680.00	25000.00
	3,4,5,6,7,8,9,10,	12'-0" x 10'-0"	250000.00	720.00	25000.00
	11,12,13,14,15,16,17	12'-0" x 10'-0"	250000.00	720.00	25000.00
झाँझवा आयुर्वेदिक औषधालय एस0एच0 के तरफ	1,	12'-0" x 10'-0"	250000.00	720.00	25000.00
	2,	12'-0" x 9'-6"	250000.00	700.00	25000.00
	3,4,5,6,7,8,9,	12'-0" x 9'-0"	250000.00	650.00	25000.00
	11,12,13,14	12'-0" x 9'-0"	250000.00	650.00	25000.00
	10,	12'-0" x 8'-4"	250000.00	600.00	25000.00

(1) उपरोक्त अंकित स्थलों पर दुकान आवंटन प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति 100.00 शुल्क नगद जमा करके आवेदन–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन–पत्र जिला परिषद कार्यालय, गोपालगंज से कार्यालय अवधि में दिनांक 11.01.2016 से दिनांक 22.01.2016 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) आवेदन–पत्र जमा करते समय इसके साथ सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज के पदनाम से सुरक्षित राशि के रुप में संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट गोपालगंज में भुगतेय होगा। बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन–पत्र दिनांक 23.01.2016 से दिनांक 25.01.2016 तक जिला परिषद के कार्यालय में जमा करना होगा।

(3) दुकान का आवंटन खुला डाँक के द्वारा दिनांक 27.01.2016 को जिला परिषद कार्यालय गोपालगंज के सभाभवन में 11 बजे पूर्वाहन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के समक्ष किया जाएगा।

(4) आवेदनकर्ता किसी भी दुकान के डाँक (निलामी) में सम्मलित हो कर उक्त दुकान का डाँक (निलाभी) बोल सकते है।

D:\Letter\12-11-2012 to 17.12.2012.doc

(5) डाँक (निलामी) के द्वारा दुकान का आवंटन होने पर डाँक की 50 प्रतिशत राशि एक मुस्त उसी समय उच्चतम डाँकवक्ता को नगद के रुप में जमा करना होगा। तथा शेष राशि 2 किश्तों में एक माह के अन्दर जिला परिषद में जमा करना होगा।

(6) डाँक की पूर्ण राशि जमा होने के 30 दिनों के अन्दर एकरारनामा के बाद दुकान आवंटी को हस्तगत करा दिया जायेगा। दुकान का आवंटन अगले 3 वर्षों के लिए होगा। पुनः अवधि समाप्त होने पर नया एकरारनामा किया जायेगा।

(7) जिस आवेदक को डाँक (निलामी) में दुकान का आवंटन नहीं होगा उसकी सुरक्षित जमा राशि 15 दिनों में वापस कर दी जायेगी। जिसके लिए आवेदन जिला परिषद गोपालगंज में देना अनिवार्य होगा।

(8) किसी भी बन्दोबस्ती को बिना कारण बताये, एवं पूर्व सूचना दिये रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज को सुरक्षित होगा।

ह0/–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ह0/–
अध्यक्ष,
जिला परिषद, गोपालगंज।

ज्ञापांक 25 / दिनांक 12-1-16 /

प्रतिलिपि :– सभी कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/जिला अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे विज्ञापन की सूचना का बोर्ड स्थल पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिला अभियन्ता, संबंधित कनीय अभियन्ता के माध्यम से इसका पूर्ण प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड प्रमुख/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज /सभी थानाध्यक्ष, जिला गोपालगंज/अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ/नजारत उप समाहर्त्ता, गोपालगंज को उक्त विज्ञापन नोटिश बोर्ड पर प्रचार हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपाध्यक्ष/सभी माननीय सदस्य, जिला परिषद गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गोपालगंज।

जिला परिषद, गोपालगंज।

बन्दोवस्ती सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–2020 (तीन वर्ष) के लिए जिला परिषद मीरगंज निरिक्षण भवन के हाता में नव निर्मित विबाह भवन की बन्दोवस्ती दिनांक 27.01.16 को 11 बजे पूर्वाहन में जिला परिषद गोपालगंज कार्यालय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के समक्ष खुला डॉक द्वारा उच्चतम डॉकवक्ता के साथ की जायेंगी। बन्दोवस्ती से संबंधित नियम/शर्त निम्न प्रकार है :–

1. जिला परिषद के मीरगंज निरिक्षण भवन में नवनिर्मित विवाह भवन की बन्दोवस्ती 03 (तीन) वर्षो के लिए न्यून्तम सुरक्षित राशि 2400000.00 (चौबीस लाख) /रु0 निर्धारित की जाती है।
2. डॉंक की राशि डॉंकवक्ता द्वारा समान दर से प्रत्येक वर्ष जिला परिषद गोपालगंज में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम वर्ष मीरगंज निरीक्षण भवन में नवनिर्मित विवाह भवन के लिए डाकवक्ता द्वारा टाटा कम्पनी का 63 के0भी0ऐ0 का साउन्डलेस जेनेरेटर जिला अभियन्ता, जिला परिषद गोपालगंज के तकनिकी देख–रेख में डी0जी0एस0 एन्ड डी0 दर पर क्रय किया जायेगा, जिसकी राशि डॉंक के प्रथम वर्ष की राशि में समयोजित कर लिया जाएगा। क्रय की गई जेनेरेटर से विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम (अधिकतम लोड पचास के0वी0) के अतिरिक्त विधुत कनेक्शन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अनुमति के बिना देय नहीं होगा। इस शर्त के उल्लंघन करने पर जिला परिषद जेनेरेटर के उपयोग पर रोक लगा सकता है। जिला परिषद द्वारा जेनेरेटर के तकनिकि जाँच की समय–समय पर करवाई की जाएगी। किसी प्रकार के अनियमितता पाये जाने पर जेनेरेटर की लागत राशि जमा सुरक्षित राशि से समायोजित कर ली जाएगी।
4. इक्छुक डॉंकवक्ता सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत जमानत के रुप में जमा कर डॉंक में भाग ले सकता है।
5. डॉंक समाप्ति के पश्चात् उच्चतम डॉंकवक्ता को एक वर्ष की राशि डॉंक समाप्ति के पश्चात् एक मुस्त से जमा करना होगा।
6. द्वितीय वर्ष डॉंक की अवशेष राशि डॉंकवक्ता द्वारा एक मुस्त जिला परिषद गोपालगंज में जमा करना होगा।
7. डॉंक (निलामी) लेनेवाले व्यक्ति विवाह भवन में स्थित सभी सामग्रियों के रख–रखाव एवं संधारण के लिए स्वंय जिम्वेवार होगें।
8. डॉंक (निलामी) लेनेवाले व्यक्ति को जिला परिषद के कर्मियों के लड़की/लड़के की शादी एवं अन्य प्रयोजन के लिए प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद के वित्त आकेक्षण एवं योजना समिति तथा सामान्य बैठक से पारित प्रस्ताव से निर्धारित दर पर विवाह भवन आरक्षित करना अनिर्वाय होगा।
9. आवश्यकतानुसार विभागीय/सरकारी कार्य के प्रयोजनार्थ निर्धारित अवधि में उक्त परिसर आरक्षित करना आनिर्वाय होगा।
10. उक्त शर्त के आलोक में जिला परिषद गोपालगंज के साथ आवंटन (बन्दोवस्ती) का एकरारनामा तहरीर करना होगा। एकरारनामा के समय लगनेवाले स्टाम्प शुल्क की राशि उच्चतम डाकवक्ता को देय होगी। जो अधिकतम तीन वर्षो के लिए मान्य होगा।
11. आवंटी (बन्दोवस्तीदार) द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल के 15 वीं तिथि तक बन्दोवस्ती की राशि जिला परिषद गोपालगंज में जमा करना अनिर्वाय होगा।

12. जिला परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 04.01.2016 से सर्वसम्मति से डाँक (निलामी) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13. आवंटी (बन्दोवस्तीदार) द्वारा उक्त नियम एवं शर्त में किसी प्रकार की अनियमितता या शर्त के उल्लंघन किये जाने पर कभी भी बन्दोवस्तीदार के साथ की गई एकरारनामा को अस्वीकृत कर उनके साथ की गई बन्दोवस्ती की रदद् करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोपालगंज का होगा।

14. डाँकवक्ता को डाँक के पूर्व सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि जमानत के रुप में जमा करना होगा।

15. डाँकवक्ता को डाँक के पहले पहचान के रुप में फोटो युक्त भोटर आई कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक आदि की छायाप्रति जमा करना होगा।

16. एक कमरा जिला परिषद के लिए सुरक्षित रहेगा।

17. अगर किसी तिथि को सरकारी कार्य के लिए परिसर आवश्यक होगी और आवंटी द्वारा उक्त तिथि को भवन किसी को आरक्षित नही होगी तो जिला परिषद परिसर का निशुल्क उपयोग करेगी।

ह0/—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद गोपालगंज।

ह0/—
अध्यक्ष,
जिला परिषद गोपालगंज।

ज्ञापांक 26 / दिनांक 11-1-16 /

प्रतिलिपि :— सभी कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/जिला अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे विज्ञापन की सूचना का बोर्ड स्थल पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिला अभियन्ता, संबंधित कनीय अभियन्ता के माध्यम से इसका पूर्ण प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखण्ड प्रमुख/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज /सभी थानाध्यक्ष, जिला गोपालगंज/अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ/नजारत उप समाहर्त्ता, गोपालगंज को उक्त विज्ञापन नोटिश बोर्ड पर प्रचार हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उपाध्यक्ष/सभी माननीय सदस्य, जिला परिषद गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद गोपालगंज।